संख्या- 407 /2024/ 3671 /चार-2024-1874832

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक: 16 दिसम्बर, 2024**

विषय:- दिनांक 05 से 08 दिसम्बर, 2024 की अवधि में 43वें रामायण मेला, अयोध्या में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 3440 /सं0नि0-15(88)/2024-25, दिनांक 04 दिसम्बर, 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा दिनांक 05 से 08 दिसम्बर, 2024 की अवधि में 43वें रामायण मेला, अयोध्या के आयोजन में निम्नवत् कार्यक्रम कराया जाना प्रस्तावित किया गया है :-

दिनांक	कार्यक्रम	कलाकार	मानदेय, किराया (एकमुश्त) (रू०
05.12.2024	रामलीला (दो दिवस हेतु) (दिन में)	श्री हरे रामदास, अयोध्या (श्री जानकी आदर्श रामलील मंडल, अयोध्या)	60000.00
	पखावज वादन	श्री विजय रामदास, अयोध्या	30000.00
	राम लाल नेहछू गायन	सुश्री शाम्भवी शुक्ला, प्रयागराज	40000.00
	भजन गायन	श्री विजय अग्निहोत्री, लखनऊ	52000.00
06.12.2024	रामलीला	श्री हरे रामदास, अयोध्या (श्री जानकी आदर्श रामलील मंडल, अयोध्या)	-
	अवधी लोक गायन	सुश्री संजोली पाण्डेय, लखनऊ	52000.00
	अवधी लोक गायन एवं नृत्य नाटिका	सुश्री क्षमा वर्मा, अयोध्या।	40000.00
	भजन गायन	श्री वीरेन्द्र सिंघल, झांसी	65000.00
07.12.2024	रामलीला (दो दिवस हेतु) (दिन में)	श्री मनीष तिवारी, अयोध्या (मनीष दास) (अवध आदर्श रामलीला मंडल, अयोध्या)	60000.00
	पखावज वादन	श्री राजीव रंजन पाण्डेय, अयोध्या	30000.00
	लोक गायन	सुश्री जान्हवी पाण्डेय, अम्बेडकर नगर	40000.00
	भजन / लोक गायन	सुश्री यामिनी पाण्डेय, लखनऊ	52000.00
08.12.2024	रामलीला	श्री मनीष तिवारी, अयोध्या (मनीष दास) (अवध आदर्श रामलीला मंडल, अयोध्या)	-
	भजन एवं लोक गायन	सुश्री कल्पना एस वर्मन, अयोध्या	40000.00
	जादू	श्री राजेश श्रीवास्तव, अमेठी	25000.00
	नृत्य नाटिका	सुश्री संगीता आहूजा, अयोध्या	40000.00
	भजन गायन	श्री मगन मिश्रा, लखनऊ	52000.00
	उद्घोषक	04 दिवस हेतु (प्रति दिवस रू0 3000/- मात्र)	12000.00
		(रूपये छः लाख नब्बे हजार मात्र)	690000.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार दिनांक 05 से 08 दिसम्बर, 2024 की अवधि में 43वें रामायण मेला, अयोध्या में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर व्यय होने वाले धनराशि रू0 6,90,000/- (रू0 छः लाख नब्बे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्न शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।
(3) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।
(4) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।
(6) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।
(7) स्वीकृत धनराशि का संबंधित को समयान्तर्गत भुगतान के उपरान्त यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।
(8) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-21-रामोत्सव, अयोध्या 2024-25, 42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव

संख्या - 407 /2024 / 3671 (1)/चार-2024-1874832 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. जिलाधिकारी, अयोध्या।
5. निदेशक, अन्तर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान, अयोध्या।
6. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
7. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।